10/7/25

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई उपस्थ पक्ष [illegible]
प्रा०पत्र प्रार्थिया स्वीकार किया जाता है। विस्तृत
निर्णय शामिल मिसल किया गया। नंबर से [illegible] हो।
निर्णय सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़ (राज.)

GCMS
2024/671

Signature Not Verified

Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.11 17:09:12 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक जिलाधीश सूरतगढ़

पीठासीन अधिकारी :– सन्दीप कुमार आर.ए.एस.

प्रकरण नं. 294 / 2024 GCMS:-2024/671 दायरा दिनांक 06.11.2024

आरती मुंधड़ा पत्नी अरुण कुमार मुंधड़ा जाति मुंधड़ा (महेश्वरी) निवासी 1 जी.बी. 'ए' तहसील श्रीविजयनगर जिला अनुपगढ़ राज.।

– प्रार्थीया

बनाम

1. रायसिंह पुत्र बिहारीलाल जाति राजपुत निवासी खटियाड़ तहसील फतेहपुर हाल आबाद 2 एफ.डी.एम. तहसील सरूतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
2. भवंरलाल पुत्र सुरजाराम जाति नाई निवासी बधादर तहसील व जिला सीकर राज.।
3. मोनू मुंधड़ा पत्नी अशोक कुमार मुंधड़ा जाति मुंधड़ा (महेश्वरी) निवासी 1 जी. बी.'ए' तहसील श्रीविजयनगर जिला अनुपगढ़ राज.।
4. रमेश कुमार पुत्र ताराचंद जाति नाई निवासी रामसरा जाखड़ान तहसील सरूतगढ़ जिला श्रीगंगानगर राज.।
5. विजेता पत्नी बृजमोहन जाति मुंधड़ा (महेश्वरी) निवासी 1 जी.बी.'ए' तहसील श्रीविजयनगर जिला अनुपगढ़ राज.।
6. शाखा प्रबंधक यूको बैंक शाखा जैतसर।
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व, सूरतगढ़।
8. उप पंजीयक, सूरतगढ़.

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थित :–

1. श्री कुलविन्द्र सिंह एडवोकेट – प्रार्थीया
2. श्री शिशपाल शर्मा एड़वोकेट – अप्रार्थी नं. 1
3. श्री सुभाष देहडू एडवोकेट – अप्रार्थी नं. 2 व 4
4. पेरोकार राज नायब तहसीलदार – अप्रार्थी नं. 7

–:: निर्णय ::– **दिनांक :–** 10.07.2025

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीया के नाम से संयुक्त खाता में वाके चक 2 एफ.डी.एम. पटवार हल्का सादकवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 50 / 112 के पत्थर नं. 87 / 331 (20) के किला नं. 1 / 1 में 0.228, 1 / 2 में 0. 025, 2 / 1 में 0.228, 2 / 2 में 0.025, 3 / 1 में 0.228, 3 / 2 में 0.025, 4 / 1 में 0.228, 4 / 2 में 0.025, 5 / 1 में 0.202, 5 / 2 में 0.051, 6 / 1 में 0.228, 6 / 2 में 0.025, 7 ता 14 / 2.024, 15 / 1 में 0.228, 15 / 2 में 0.025, 16 / 1 में 0.228, 16 / 2 में 0.025, 17 ता 24 / 2.024, 25 / 1 में 0.228, 25 / 2 में 0.025 = 6.325 हैक. कमाण्ड / अ.क. मय खाला भूमि में 5798 / 18975 हिस्सा भूमि खातेदारी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। उक्त जेरे प्रकरण रकबे का प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण का घरु बंटवारा किया हुआ है। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण ने घरु बंटवारा अच्छी में से अच्छी व खराब में से खराब का ध्यान में रखकर किया हुआ है। घरु बंटवारा प्रार्थीया की कब्जा काश्त चक 2 एफ.डी.एम. पटवार हल्का सादकवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 50 / 112 के पत्थर नं. 87 / 331 (20) के किला नं. 4, ता 7, 14 ता 17, 24, 25 = 1.933 हैक

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.11 17:09:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

कमाण्ड/अ.क. मय खाला भूमि पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। जिसे प्रार्थीया खाता विभाजन में प्राप्त करने का कानूनी हकदार भी है। प्रार्थीया ने अपने हिस्से के रकबा को भारी मेहनत व ट्रेक्टर से करावा लगाकर, गोबर की खाद डाल कर अप्रार्थीगण से ज्यादा उपजाऊ बनाया है इसलिए अप्रार्थीगण की नियत में बदयन्ति आ गई है वह प्रार्थीया के सुधारे एंव उपजाऊ रकबा पर काबिज होने की फिराक में है एंव प्रार्थीया को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते है। प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण का रकबा संयुक्त खाते का है तथा अप्रार्थीगण बहुत ही सातिर एंव चलाक किस्म के व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को उसके हितो से महरुम रखने की फिराक में है इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहती है कि वो जब तक खाता विभाजन नही होता तब तक रकबा पर ना तो स्वंय दखलदाजी करे व ना ही किसी अन्य से करावे व रहन, बैचान न करे। प्रार्थीया एंव अप्रार्थीगण का रकबा संयुक्त खाते का है तथा अप्रार्थीगण बहुत ही सातिर एंव चलाक किस्म के व्यक्ति है तथा अप्रार्थीगण, प्रार्थीया को उसके हितो से महरुम रखने की फिराक में है इसलिए प्रार्थीया, अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाना चाहती है कि वो जब तक खाता विभाजन नही होता तब तक रकबा पर ना तो स्वंय दखलदाजी करे व ना ही किसी अन्य से करावे व रहन, बैचान न करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थीया की एक तरफा बहस सुनी गई। दिनांक 06.11.2024 को जैर प्रकरण रकबा वाके चक 2 एफ.डी.एम. पटवार हल्का सादकवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 50/112 के पत्थर नं. 87/331 (20) के किला नं. 1/1 में 0.228, 1/2 में 0.025, 2/1 में 0.228, 2/2 में 0.025, 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 5/1 में 0.202, 5/2 में 0.051, 6/1 में 0.228, 6/2 में 0.025, 7 ता 14/2.024, 15/1 में 0.228, 15/2 में 0.025, 16/1 में 0.228, 16/2 में 0.025, 17 ता 24/2.024, 25/1 में 0.228, 25/2 में 0.025 = 6.325 हैक. कमाण्ड/अ.क. मय खाला भूमि खातेदारी रकबा में प्रार्थीया के कब्जा काश्त भूमि पर अप्रार्थीगण ना तो स्वंय दखलदाजी करे व ना ही किसी अन्य से करावे व बैचान ना करे एवं मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का स्थगन आदेश जारी किया गया। अप्रार्थी नं. 1 की तरफ से श्री शिशपाल शर्मा एडवोकेट हाजिर आये व अप्रार्थी नं. 1 के और से जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, शामिल मिसल रहे। वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 31.01.2025 को पेश हो। दिनांक 03.06.2025 को उभयपक्ष उप. बहस की गई अप्रार्थी नं. 1 द्वारा प्रार्थीया ने तथाकथित तरीके से बैयनामा पने पक्ष में करवाया है व अब श्रीमान न्यायालय से एक तरफा स्थगन लेकर मूल खातेदार को अपने रकबा के मूल अधिकारो से वंचित कर दिया है अगर प्रार्थीया सह खातेदार भी मानी जाती हे तो भी अप्रार्थी नं. 1 सह खातेदार है व सह खातेदार के विरुद्ध निषेधाज्ञा जारी नही हो सकता हालाकि प्रार्थीया की स्थिती खरीददार की मानी जाती है तो भी खरीददार को संयुक्त खाता के रकबा में सह खातेदार के विरुध स्थगन लेने का अधिकार नही है व एक तरफा स्थगन होने से जैर प्रकरण रकबा का रहन बैचान नही हो सकता जिससे सरकार को भी राजस्व आय पर रोक लगा दी है।

P.T.O.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.11 17:09:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सूरतगढ़

अधिवक्तागण अप्रार्थी की बहस सुनी गई व अप्रार्थी नं. 1 की तरफ से प्रस्तुत दस्तावेजो का गहनता पूर्वक अवलोकन किया गया। अवलोकन के पश्चात पाया गया की उक्त जैर प्रकरण रकबा वाके चक 2 एफ.डी.एम. पटवार हल्का सादकवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 50/112 के पत्थर नं. 87/331 (20) के किला नं. 1/1 में 0.228, 1/2 में 0.025, 2/1 में 0.228, 2/2 में 0.025, 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 5/1 में 0.202, 5/2 में 0.051, 6/1 में 0.228, 6/2 में 0.025, 7 ता 14/2.024, 15/1 में 0.228, 15/2 में 0.025, 16/1 में 0.228, 16/2 में 0.025, 17 ता 24/2.024, 25/1 में 0.228, 25/2 में 0.025 = 6.325 हैक. कमाण्ड/अ.क. मय खाला भूमि में से 1.933 हैक. कमाण्ड/अ.क. मय खाला भूमि प्रार्थीया की जरिये रजि. बैयनामा से खरीद शुदा है तथा अप्रार्थीगण के साथ घरु बंटवारा कर रखा है। घरु बंटवारा में प्रार्थीया के कब्जा काश्त में चक 2 एफ.डी.एम. पटवार हल्का सादकवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 50/112 के पत्थर नं. 87/331 (20) के किला नं. 4, ता 7, 14 ता 17, 24, 25 = 1.933 हैक. कमाण्ड/अ.क. मय खाला भूमि पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है। जिसे प्रार्थीया खाता विभाजन में प्राप्त करना चाहती है। अप्रार्थी नं. 1 द्वारा ऐसा कोई तथ्य पेश नही किया गया है जिससे साबित होता हो कि प्रार्थीया का उक्त किलाजात पर कब्जा काश्त ना हो। अगर तथाकथित बैयनामा प्रार्थीया ने अपने पक्ष में तहरीर करवाया है तो सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर बैयनामा निरस्त करवा सकते है। प्रार्थीया खरीद के दिन से खातेदार कृषक है। इसलिए उक्त रकबा पर जारी स्थगन आदेश दिनांक 06.11.2024 को यथावत् रखना उचित समझते है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र 212 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को मूल दावा के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि वो वाके चक 2 एफ.डी.एम. पटवार हल्का सादकवाला की जमाबन्दी सम्वत् 2076 ता 79 के खाता संख्या 50/112 के पत्थर नं. 87/331 (20) के किला नं. 1/1 में 0.228, 1/2 में 0.025, 2/1 में 0.228, 2/2 में 0.025, 3/1 में 0.228, 3/2 में 0.025, 4/1 में 0.228, 4/2 में 0.025, 5/1 में 0.202, 5/2 में 0.051, 6/1 में 0.228, 6/2 में 0.025, 7 ता 14/2.024, 15/1 में 0.228, 15/2 में 0.025, 16/1 में 0.228, 16/2 में 0.025, 17 ता 24/2.024, 25/1 में 0.228, 25/2 में 0.025 = 6.325 हैक. कमाण्ड/अ.क. मय खाला भूमि खातेदारी [illegible] प्रार्थीया के कब्जा काश्त भूमि पर अप्रार्थीगण ना तो स्वंय दखलदाजी [illegible] व [illegible] ही किसी अन्य से करावे व बैचान ना करे एवं मौका का [illegible] रखे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया [illegible]।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2025.07.11 17:09:12 IST
Reason: SelfAttested

(सन्दीप कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़
एंव सहायक जिलाधीश
सूरतगढ़